रही है कि कोई ऐसा इन्तजाम किया जाये कि सरकारी कैश का भी नुकशान न हो और सरकारी कर्मचारियों की जान भी महफूज रह सके ?

डा० राम सुभग सिंह : इस सम्बन्ध में उचित व्यवस्था की जाती है ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : गार्डों पर गुंडों के जो हमले होते हैं, उनके अतिरिक्त उन पर प्रकृति के भी हमले होते है । उनके डिब्बे इतने खुले होते हैं कि वे वर्षा में काफी भीगते हैं और सर्दियों में उन पर सर्दी की भयंकर मार पड़ती है । वे डिब्बे बाबा आदम के समय से चले आ रहे । काफी परिवर्तन हो गया है, लेकिन गार्डों के डिब्बों में कोई परिवर्तन या सुधार नहीं हुआ है । क्या रेलवे प्रशासन सभी रेलवेज में गार्डों के डिब्बों में कोई विशेष परिवर्तन करने जा रहा है, जिससे गार्डों के स्वास्थ्य पर प्रकृति का नाजायज असर न पड़े ? मन्त्री महोदय ने कहा है कि कुछ रेलवेज में ही हमले होते हैं । क्या मन्त्री महोदय ने इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया है और क्या इन हमलों की रोक-थाम के विषय में उनका कोई सहयोग मिलेगा ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि श्री महीडा के प्रश्न उत्तर में बताया गया है, नये ढंग से डिब्बों को बनाने के बारे में विचार किया जायेगा । जहा तक राज्य सरकारों से परामर्श करने का सम्बन्ध है, आई०जी०आर०पी०एफ० ने भी बातें की हैं और हमने भी मुख्य मन्त्रियों से बातें की हैं । इस बारे में मीटिंग्ज़ हुई हैं और उचित व्यवस्था करने के बारे में फैसला किया गया है ।

Shifting of Ashok Paper Mills from Bihar to Assam

+

*486. SHRI SHIVA CHANDRA JHA :
SHRI SITARAM KESRI
SHRI BHOLA NATH MASTER :
SHRI D. N. TIWARY :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have under consideration a proposal to shift the Ashok Paper Mills from Bihar to Assam :

(b) whether it is also a fact that the Government of Bihar have invested a substantial amount in this mill ;

(c) whether its shifting would affect the economy of the State adversely ; and

(d) if so, whether Government would consider providing the mills adequate assistance to run the same efficiently and profitably in Bihar itself ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH) : (a) No. Sir. The Central Government have no such proposal under consideration However, the Government of Bihar have received some proposals from the Government of Assam which are under their consideration.

(b) Yes, Sir.

(c) The Mill has not yet been commissioned and is therefore currently not exercising any effect on the economy of the State.

(d) The matter is under the consideration of the Govt. of Bihar.

———

RE : PROCEDURE ABOUT ASKING QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रश्नों के बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ । क्वेश्चन लिस्ट पर 30 के करीब प्रश्न होते हैं और मैंने देखा है कभी 4 कभी 5 प्रश्न हो पाते हैं । इसका मतलब यह है कि चार पांच प्रश्न पूछने वाले मेम्बर साहबान का ही नम्बर आ पाता है और कितने बाकी रहते हैं वह अपने हक से महरूम रह जाते हैं । उनको मौका नहीं मिलता । मैंने हाउस आफ कामन्स का भी देखा है और औरों का भी देखा है । 30 से 25 तक की उनकी एवरेज है । इसलिए मैंने कुछ सोचा है कि जरा तेजी की जाय और जो मेम्बर साहबान सवाल पूछने वाले होते हैं उनमें एक या दो जिनके कि

नाम होते हैं एक सवाल पर उनके अलावा मैं और उनको काल नहीं करूंगा। अगर वह अपने आप खड़े हो जायेंगे तो उनको जरूर काल करूंगा लेकिन पहले तीन या दो को ले लें; तो बहुत ही अच्छा है, ज्यादा से ज्यादा तीन ले लें। इससे ज्यादा नहीं। इसलिए मैं हाउस के इन्टेरेस्ट में यह बात कह रहा हूँ कि जितने ज्यादा सवाल आ जांय उतना ही अच्छा है। इसमे आपके लिए भी अच्छा रहेगा और बाहर पब्लिक को भी तसल्ली रहेगी। मिनिस्टर साहबान से भी मैं यह बात कहूँगा कि लम्बे-चौड़े जवाब वह न दें। यह मैं उनको एक और भी बात बताता हूँ जितने जवाब छोटे हों उतनी मुश्किल कम होती है। वह जब लम्बे-चौड़े झगड़े में पड़ते हैं तो मेम्बर उससे दुगने में पड़ जाते हैं और यह ख्वामख्वाह उसमें इन्वाल्व हो जाते हैं। मैं क्या करूं?

श्री बिश्वनाथ राय (देवरिया): माननीय अध्यक्ष जी, इसी सदन में मावलंकर साहब के समय में 25 सवाल होते थे।

अध्यक्ष महोदय: वह हालात तो रहे नहीं लेकिन मैं कोशिश करूंगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़): अध्यक्ष महोदय- आपने जो सुझाव दिया है कि प्रश्नोत्तर काल में अधिक से अधिक प्रश्न लिए जा सकें आपके इस सुझाव का स्वागत करते हुए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने प्रश्न हों उनके उत्तर अगर आधे घंटे पहले नोटिस आफिस में सदस्यों को उपलब्ध हो जाया करें तो मैं समझता हूँ कि सदस्यों को प्रश्न करने में बड़ी सुविधा होगी और संगत प्रश्न हो सकेंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था भी आप करें कि आधा घंटा पहले यह उत्तर सदस्यों को मिल जाया करें जिससे उस आधार पर सदस्यों को प्रश्न करने में सुविधा हो। और दूसरे यह अवश्य ध्यान रहे कि जो उत्तर दिये जांय उसमें किसी तथ्य को छिपाने की कोशिश न की जाय जिससे सदस्यों को बार-बार प्रश्न करने के लिए विवश होना पड़े।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): आपके मुख से जो वाणी निकलती है वह हमारे लिए कानून बनकर खड़ी हो जाती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह ठीक है कि ज्यादा से ज्यादा सवाल आएं मगर शास्त्री जी ने जो सुझाव दिया है कि पहले से जवाब मिल जाय, ऐसी व्यवस्था आप कर दें तो ठीक तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन आपने जो अभी यह निवेदन किया है कि मन्त्री महोदय लम्बे चौड़े उत्तर न दें इसका मतलब यह न हो कि (ए) नो सर, (बी) नो सर, (सी) इज नाट एराइज। ऐसा न हो।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कल पार्टी लीडर्स से बात की थी और मैं मिनिस्टर साहबान से भी अर्ज करूंगा, मैं जब पंजाब में था तो मैंने तजर्बा किया था, आधा घंटा पहले टेबल पर जवाब रख दिये जाते थे, यह एक कन्वेंशन बनी थी उससे मैंने कम्पेयर करके देखा पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा काम होता था, दुगने के सवालात हो जाते थे। इसलिए मैं मिनिस्टर साहबान से अर्ज करूंगा इसको एक दफा ट्राई करके देख लें, उनकी सरदर्दी बहुत कम हो जायेगी। मुझे पता है कई दफा उनको लास्ट मिनट पर करेक्शन करना पड़ता है। लेकिन वह यही समझ लें कि क्वेश्चन अवर 11 के बजाय 10 बजे हैं। अगर वह ऐसा समझ लेंगे कि क्वेश्चन अवर 11 के बजाय 10 बजे से है और उसको टेबल पर रख देंगे तो वह देखेंगे कि इस तरह क्वेश्चन ज्यादा होंगे और उनकी सरदर्दी कम होगी।

श्री हुकम चन्द कछवाय (उज्जैन): मेरा निवेदन है आपने जो सुझाव दिया वह बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। हम सब सहमत हैं उससे। लेकिन मैं अपनी कठिनाई बताता हूँ प्रश्नों के सम्बन्ध में...

अध्यक्ष महोदय: आपकी कठिनाई मैं देखता रहता हूँ हर समय।

श्री हुकम चन्द कछवाय : यह जो प्रतिबंध लगा है कि एक मेम्बर के 5 से ज्यादा स्टार्ड क्वेश्चन्स नहीं होंगे और अनस्टार्ड क्वेश्चन्स कुल 200 से ज्यादा नहीं होंगे, इससे हमको बहुत कठिनाई होती है। बहुत से क्वेश्चन्स हमारे वापस आते हैं जिससे कि सरकार से जानकारी जो हम चाहते हैं वह मिल नहीं पाती है और हमारे काम करने में कठिनाई आती है। इसलिये अगर यह प्रतिबन्ध हटा लिए जायं तो हमें आसानी हो जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : आप बड़े सीनियर मेम्बर्स हैं, मुझसे भी ज्यादा सीनियर हैं। मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं आपको यह मशविरा दूं कि यह पढ़िये, वह पढ़िये। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्वेश्चन आस्क करने का एक ढंग है –

Questions should be direct; the supplementaries should be direct, and they should not be accompanied or preceded by a speech The question should not be suggestive; it should not be informative and it should not be incriminating or insinuating. A number of oonditions have been laid down. But really I feel very mnch depressed that the question is preceded by long speech, and I always try to find out the point where the questioner will stick to the question. Kindly be careful about it.

श्री भोलाहू प्रसाद (बासगांव) : आप मेरा एक निवेदन सुन लीजिये। इसी प्रक्रिया के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अंग्रेजी में जो प्रश्न दिये जाते हैं उनका हिन्दी में अनुवाद होकर आ जाता है वह तो ठीक है, लेकिन हिन्दी में जो प्रश्न दिए जाते हैं उनका अंग्रेजी में अनुवाद करने के बाद फिर हिन्दी में अनुवाद किया जाता है...

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में सीरियसली सोच रहा हूं।

श्री भोलाहू प्रसाद : और दूसरे, जो स्टार्ड और अनस्टार्ड क्वेश्चन्स पर प्रतिबन्ध है उसको हटा सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। अतारांकित प्रश्नों से जो हमारा बहुत सा मामला निपट जाया करता था वह अब यह जो प्रतिबन्ध लग गया है कि 200 सवालों से अधिक नहीं हो सकते उसके कारण नहीं हो पाता है...

अध्यक्ष महोदय : इन पर मैं विचार कर रहा हूँ। आप देखेंगे कि मैं थोड़ा सा इंग्लिश में भी बोलता हूँ, थोड़ा हिन्दी में भी और फिर उर्दू में भी बोल जाता हूं ताकि सम्भली साहब को शिकायत न हो।...(व्यवधान)...यह सब कुछ इसलिए मैंने कहा है कि कल क्वेश्चन्स की सूची दुगनी होनी चाहिए जो पूछे जा सकें।

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था थी कि जो सवाल पूछना चाहते थे वह अपने सवाल भेज देते थे, सीधे नोटिस आफिस में दे देते थे। अब दिक्कत यह हो गई है कि उसमें डेट फिक्स हो गई है कि इसी डेट में इस सवाल को पुट अप करना है। अब मान लीजिये कि मैं उस दिन नहीं देता हूँ तो इस तरह जो साधारण सदस्य हैं वह उससे वंचित हो जाते हैं। इसमें आपको सुधार करना होगा।

दूसरी बात जो लोग दिल्ली में रहते हैं वह लोग तो एक ही समय सवाल बनाकर दे देते हैं लेकिन जो सुदूर देहात में रहने वाले हैं हमारे जैसे लोग वह सवाल बना नही पाते। और भेज नहीं पाते। उसमें थोड़ी देर होती है। तब तक बैलट में नाम आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि सभी को ईक्वल अपारच्युनिटी मिले। जो पहले 21 दिन वाला था वह अच्छा था। क्योंकि यह लोक सभा है, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। केवल वकील और बैरिस्टर लोग ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझसे चैम्बर में मिल लें मैं सब कुछ बता दूंगा।